

an>

Title: Regarding promises made by Government to bring back black money stashed in foreign banks within 100 days and distribute the same to the citizens of India.

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) :** अध्यक्ष महोदया, कल भी हमने यह कोशिश की कि कालेधन पर इस सदन में चर्चा हो। चुनाव से पहले इस बारे में जो वादे किए गए थे और उसके बाद भी सरकार द्वारा कई वक्तव्य इस बारे में आए, तो हम जानना चाहते हैं कि आज तक कितना कालाधन विदेशों से भारत लाया गया, कितना पैसा किसका था और किसके एकाउंट में गया। इन सबके बारे में यहां पर चर्चा करने के लिए हम कल से कोशिश कर रहे थे। इसीलिए मैंने इस बारे में नोटिस भी दिया था stating:

"I hereby give notice of my intention to ask for leave to move a motion for the adjournment of the Business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent importance, namely, violation of promises given by the Prime Minister to bring back black money from foreign banks within hundred days and distribute the money to the citizens of India."

Secondly, I have also given one more notice requesting you, Madam, to suspend the Question Hour today and take up this discussion so that it will have importance. The Government is also well prepared to give the reply. We will listen to the reply; the entire country will also listen to the promises made by them as well as their reply. Kindly allow this discussion so that I can initiate the debate.

**माननीय अध्यक्ष:** आप जानते हैं कि सस्पेंशन ऑफ वक्शन ऑवर नहीं होता है।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** पहले होता था।

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर):** पहले हुआ है, यह कंवेेशन है।

**माननीय अध्यक्ष:** आप कहिए।

**SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY :** Madam, I have also given the notice stating that it should be given priority and that it should be taken up by suspending the Question Hour. However, today's List of Business shows that it has been enlisted as the last item. First, all the Bills will be discussed and then this matter will come up in the evening. So, it appears as if यह सरकार काली रात में कालेधन के विषय पर चर्चा करानी चाहती है। दाल में कुछ काला है।

**माननीय अध्यक्ष:** आपकी बात ठो गई, मैं आपकी बात समझ गई। आपने अपनी बात कह ली, अब आप बैठ जाएं।

**श्री सुदीप बंदोपाध्याय :** इस विषय पर लगता है कि कुछ खास बात है, मतलब है, दाल में कुछ काला है। हम लोग चाहते हैं...(व्यवधान)

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैर्या नायडू) :** मैडम, ऐसा बेकार आरोप करना अनुचित होगा। सदन की मर्यादा और गरिमा है। सरकार बहस के लिए तैयार है। कल भी मैंने इस बात को हाउस में कहा, चैम्बर में भी कहा, मैंने विपक्ष के नेता को भी कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कब चर्चा हो, यह सभापति जी तय करते हैं। हमने अपनी तैयारी कल ही बता दी थी। दूसरा, हमारे पास छिपाने के लिए कोई विषय नहीं है, हमारे जमाने में कुछ हुआ नहीं है, आपके जमाने में हुआ है। इसलिए कभी भी चर्चा हो, थोड़ा शांति रखिये। ...(व्यवधान) इतने साल तुप बैठे सुदीप जी और थोड़ा शांत बैठ जाइये। शाम और दिन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है और जब भी आप तय करेंगे, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, आप थोड़ी देर तुप बैठ जाइये। मुझे कुछ कहना है, आप बैठ जाइये। माननीय सदस्यगण, मुझे विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए वादों के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, डॉ. एम. वीरप्पा मोइली, सर्वश्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, कमलनाथ, के.सी. वेणुगोपाल और एन. के. पेमवन्दन से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रक्रिया नियमों के नियम 56 के अंतर्गत, स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता हेतु एक महत्वपूर्ण मानदंड यह है कि मामला आपातकाल के रूप में अचानक उत्पन्न हुआ हो। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि काले धन का मुद्दा हाल ही में सामने नहीं आया है। यह तो गत लोक सभा में भी चला था और इसलिए इसकी ग्राह्यता हेतु नियम 56 में निर्धारित मूलभूत मानदंड पूरा नहीं हुआ है।

इसके अलावा, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया को तीव्र किए जाने की आवश्यकता से संबंधित नियम 193 के अंतर्गत एक चर्चा आज की पुनर्नीक्षित कार्य-सूची में सूचीबद्ध है। मैं इन सब परिस्थितियों में आपका स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं कर सकती। सस्पेंशन ऑफ वक्शन आवर का भी नियम के अंतर्गत हो नहीं सकता, लेकिन नियम 193 के अंतर्गत पूरा-पूरा मौका सभी को मिलेगा। धन्यवाद।

**11.12 hrs.**

(At this stage, Shri Bhagwant Mann came and stood

*on the floor near the Table.)*

**माननीय अध्यक्ष :** जैसा मैंने कहा है कि नियम 193 के अंतर्गत आपको प्रीओरिटी दी जाएगी। आप अपनी सीट पर जाइये। आपका तो प्रस्ताव भी नहीं है। आपने तो कोई नोटिस भी नहीं दिया है। आप अपनी सीट पर जाइये।

**11.13 hrs.**

*At this stage, Shri Bhagwant Mann went back to his seat.*

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे :** आपका यह कहना है कि हम आपकी रुलिंग को वक्शन नहीं करते। लेकिन यह हमारा फर्ज है और सरकार का भी यह फर्ज है कि जो विषय महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण

विषय को प्रीओरिटी देकर अभी इस वक्त लेने की अगर आप उन्हें सूचना दें तो हम तैयार हैं क्योंकि यह नहीं कहना कि यह दो साल से है, तीन साल से है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं सदन के रूप में इसे स्वीकार नहीं कर रही हूँ।

**श्री महिलकार्जुन खड़गे :** समय-समय के अनुसार किसी चीज का महत्व होता है। इसीलिए उन्होंने 100 दिन का वायदा किया, ये दो-तीन साल पहले नहीं था। ये 100 दिन का वायदा तो आज का है, आपका है, आपके मैनिफेस्टो में है। ... (व्यवधान) राजनाथ सिंह जी बोले हैं कि 100 दिन में हम कालाधन वापस लायेंगे। ... (व्यवधान)

**श्री एम. वैकरिया नायडू :** हम तैयार बैठे हैं, ये लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

â€ (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैंने कहा है कि स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होगा। That is my ruling. I am sorry. स्थगन प्रस्ताव नहीं होगा, नियम 193 के तहत चर्चा में आपको प्रीओरिटी दे देंगे। मैं चर्चा करके इसको जल्दी शुरू करवाऊँगी। But not now. I am sorry.

â€ (व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, I would request that this should be taken up after the Question Hour.

**माननीय अध्यक्ष :** नियम 193 के तहत तो चर्चा करनी ही है, लेकिन कब करनी है, यह मैं देख लूँगी।

â€ (व्यवधान)

**श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** आप आज ही नियम 193 के तहत इस चर्चा को ले लें। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** मैं इस बारे में चर्चा करूँगी और इस पर जल्दी चर्चा ले लेंगे, लेकिन मैं अभी समय तय नहीं करूँगी।

â€ (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** आप इस तरह से मत कीजिए, एकदम से चर्चा कर लें। I will take it. मगर मैं यह नहीं कहती हूँ कि कितने बजे चर्चा होगी, क्योंकि, आज राज्य सभा में भी इसी विषय पर चर्चा है। इसलिए मैं इस पर बात करके जल्दी से जल्दी चर्चा लेने की कोशिश करूँगी।

â€ (व्यवधान)